

रघुनाथ VS चौधरी

30/10/16

गौरी

22/2/21 पञ्जावली पेश हुई वकीलपुत्री व पुत्री
उप-नही। वकीलपुत्री व पुत्री को
वीर-वार-आवाज किलवाई गई
ओई उप-नही हुमा। अतः पञ्जावली
अपना दापरी पुत्री व अरुमपैली
वकीलपुत्री में खारिज की जाती है
पञ्जावली के सत्य हुमा एकर
नम्बर से उम लें,

सहायक क्लर्क
(फास्ट ट्रेक) एव